TEN RUPEES दस रुपये TEN RUPEES

(26)

(27)

विविध-9095-PBR16

1.गुरूकृपा दालमिल द्वारा

प्रोप.रामचन्द्र नवलानी आयु करीब 45 वर्ष आ.सीरूमल नवलानी

2. अशोक पोहा मिल द्वारा

प्रोप.अशोक कुमार आयु 60 वर्ष आ.सेवाराम बागवानी

3. सरिता आईस्क्रीम द्वारा

प्रोप.महेश कुमार अहूजा आयु 45 वर्ष आ.अर्जुनदास अहूजा

4. माँ रेवा भोग आटा द्वारा

प्रोप.प्रदीप सेनी आयु करीब 30 वर्ष आ.स्व.बहादुरसिंह सेनी

5. नर्मदा एग्रीकल्चर इंड.द्वारा भागीदार

प्रोप.अतुल गौर आयु करीब 32 आ.स्व.श्री नरेश कुमार गौर

उपरोक्त सभी निवासी-किशनपुरा औद्योगिक क्षेत्र होशंगाबाद

तह. व जिला होशंगाबाद...याचिकाकर्तागण/आवेदकगण

बनाम

1. कृषि उपज मंडी होशंगाबाद द्वारा

सचिव कृषि उपज मंडी होशंगाबाद

2. म.प्र.शासन मार्फत कलेक्टर महोदय होशंगाबाद

3. महाप्रबंधक जिला लघु उद्योग केन्द्र होशंगाबाद.....................................उत्तरवादीगण/अनावेदकगण

<u>आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 12 न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971</u>

आवेदकगण की ओर से निम्न निवेदन है :-

1. यह कि इस माननीय न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्तागण ने एक पुनरीक्षण याचिका श्रीमान अधीक्षक भू अभिलेख होशंगाबाद द्वारा सीमांकन प्रकरण क्र.1/अभ्यावेदन/2015-16 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 27.04.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की है जिसका प्रकरण क्र.आर-1408-पीबीआर/2016 प्रस्तुत की है जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 05.05.2016 को आदेश पारित करते हुए उक्त कार्यवाही में यथास्थिति बनाए रखने के लिये आदेश पारित किये गए हैं।

2. यह कि माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.05.2016 अनावेदक क्र.2/उत्तरवादी क्र.2 की अनुपस्थिति में जारी हुआ है एवं उक्त यथास्थिति के आदेश की सूचना अनावेदकगण को प्रदान कर दी गई थी। उक्त सूचना इन याचिकाकर्तागण ने दिनांक 06.005.2016 को सर्वप्रथम प्रदान की एवं सूचना प्राप्ति के बाद भी उत्तरवादी क्र.1 ने माननीय राजस्व मंडल द्वारा पारित आदेश की अवहेलना करते हुए प्रश्नाधीन सम्पत्ति का निर्माण कार्य जारी रखा है एवं यथास्थिति आदेश का पूर्णरूपेण उलंघन कर तीव्र गति से निर्माण कार्य करता

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक विविध 9095–पीबीआर / 16 जिला होशंगाबाद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4–1–2017	उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । यह न्यायालयीन अवमानना का प्रकरण इस न्यायालय के मूल प्रकरण कमांक निगरानी 1408–पीबीआर / 16 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 5–5–2016 के अवमानना के फलस्वरूप प्रस्तुत किया गया है । चूंकि उक्त मूल प्रकरण में दिनांक 4–1–2017 को अंतिम आदेश पारित हो गया है, इसलिए यह न्यायालयीन अवमानना का प्रकरण निरर्थक होने से निरस्त किया जाता है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	